यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर अल्मोडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर अल्मोडा के माह 03/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी, श्री अजय कुमार मश्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री एफ आर खान व0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.11.2017 से 14.11.17 तक श्री अशोक कुमार लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री (इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।) सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक - से - तक तक श्री - लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह - से - तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः राजस्व संग्रह, अल्मोडा, बागेश्वर जिले का दवा का निर्माण, बिक्री सोप स्टोन खनन का कार्य एवं बीडी का कार्य।

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	------
2015-16	1122.44
2016-17	3016.44

(II) (ब) बजट का ववरण:-

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
शून्य								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. आयुक्त
2. एडीशनल क मश्नर
3. ज्वाइंट क मश्नर
4. डप्टी क मश्नर
5. असिस्टेंट क मश्नर
6. वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर अल्मोडा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर अल्मोडा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: 10/2015, 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया।

व्यय: लागू नहीं

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-**2** 'अ'

(अति गम्भीर अनिय मतताएं)

प्रस्तर- शून्य

भाग-**2** **'ब'**

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 स्रोत पर कर कटौती (टी0डी0एस0) की धनरा श वलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड ` 4.88 लाख एवं ब्याज ` 0.07 लाख का अनारोपण ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 35(4) के अनुसार, टी0डी0एस0 की धनरा श कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माह, जिसमें कटौती की जाय, के आगामी माह की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करेगा ।

अ धनियम की धारा 35(8) के अनुसार, कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गयी धनरा श को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है, तो करनिर्धारक प्रा धकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ल खत आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है क ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य कन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गयी तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी, धनरा श के दुगने से अन धक धनरा श का भुगतान करेगा ।

अ धनियम की धारा 35 (9) के अनुसार, उपधारा (8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गई धनरा श जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य कन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी, धनरा श पर उस तारीख से जब ऐसी धनरा श कटौती योग्य थी, से उस तारीख तक जब ऐसी धनरा श वास्तव में जमा की गयी, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा ।

कार्यालय डप्टी क मश्नर,(क.नि.) वा णज्य कर, अल्मोड़ा के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री कार्यपालक अ भयन्ता, अल्मोड़ा केन्द्रीय मण्डल, केन्द्रीय लोक निर्माण वभाग, एस0 एस0 बी0 कैम्पस, अल्मोड़ा द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के दौरान <u>"संलग्नक-क"</u> में उल्लि खत सं वदाकारों को भुगतान करते समय माह 11/2013 के टी0डी0एस0 धनरा श ` 2,44,092 को चालान सं0 00072 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, अल्मोड़ा में वलम्ब से दिनांक 13.01.2014 को जमा कया गया था ।

अतः उपरोक्त अ धनियम की धारा 35(8) के अनुसार, टी0डी0एस0 वलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड ` 4,88,184 आरोपणीय है । साथ ही अ धनियम की धारा 35(9) के अनुसार, ब्याज ` 6,925 भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क व्यापारी को नोटिस जारी करने के पश्चात् ब्याज की कार्यवाही करने के उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

"संलग्नक-क"

क्रम सं0	सं वदाकार का नाम	बिल की सकल धनरा श (`)	टी0डी0एस0 की धनरा श (`)	कटौती का दिनांक	जमा करने का दिनांक	वलम्ब	देय ब्याज (`)	आरोपणीय अर्थदण्ड (`) **[Col. 4 x 2]**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सर्वश्री हेमचन्द्र पाण्डे, अल्मोड़ा (टिन नं0 0500012758)	4,20,483	25,229	30.11.2013	13.01.2014 धनरा श ` 2,44,092 चालान संख्या 00072 भारतीय स्टेट बैंक, अल्मोड़ा	01 माह 13 दिन	(25,229 x 15/100 x 1/12) + (25,229 x 15/100 x 13/365) = 315 + 135 = 450	25,229 x 2 = 50,458
2.	- तदैव -	49,633	2,978	30.11.2013		01 माह 13 दिन	2,978 x 15/100 x 1/12) + (2,978 x 15/100 x 13/365) = 37 + 16 = 53	2,978 x 2 = 5,956
3.	सर्वश्री आर0 सी0 बिष्ट, हल्द्वानी (टिन नं0 0500012758)	3,63,30,278	2,11,500	01.11.2013		02 माह 12 दिन	2,11,500 x 15/100 x 2/12) + (2,11,500 x 15/100 x 12/365) = 5,288 + 1,043 = 6,331	2,11,500 x 2 = 4,23,000
4.	सर्वश्री उमेश तलवार, बरेली (टिन नं0	3,42,476	3,425	26.11.2013		01 माह 17 दिन	3,425 x 15/100 x 1/12) + (3,425 x 15/100 x 17/365) = 43 + 24 =	3,425 x 2 = 6,850

	050001 2758)						67	
5.	सर्वश्री वन्टेक कम्प्यूटर, अल्मोड़ा (टिन नं0 050001 2758)	16,000	960	13.11.2013		02 माह	960 x 15/100 x 2/12) = 24	960 x 2 = 1,920
		योग	2,44,092				6,925	4,88,184

STAN 1

STAN- प्रारम्भिक रहतिया कम दिखाया जाना ` 2.68 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 30 के अनुसारः-

(1) कसी अ धकारी या प्रा धकारी या अ धकरण या उच्च न्यायालय द्वारा इस अ धनियम के अन्तर्गत पारित कसी आदेश में अ भलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष कसी बात को स्वप्रस्ताव से या ब्यौहारी या कसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, उस आदेश के दिनांक जिसमें सुधार कया जाना हो, के तीन वर्ष के भीतर सुधार सकता हैः

प्रतिबन्ध यह और है क ऐसा कोई सुधार, जिसके प्रभाव से निर्धारित कर, अर्थदण्ड, फीस या अन्य देयों में वृद्ध हो, तब तक नहीं कया जायेगा जब तक क ऐसे ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को जिसके ऐसी बृद्ध से प्रभा वत होने की सम्भावना हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(2) उस दशा में जब ऐसी भूल सुधार का प्रभाव लगाये हुये कर के बढ़ने का होगा, सम्बन्धित करनिर्धारक प्रा धकारी वहित रूप से मांग की फर से सूचना ब्यौहारी को देगा और उसके बाद इस अ धनियम के और उसके अधीन बनाए गये नियमों के सब उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे क प्रथम बार सूचना देने पर लागू होते हैं ।

कार्यालय डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर, अल्मोड़ा के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री हरि कशन तिवारी एण्ड सन्स, रानीखेत, के वर्ष 2012-13 के कर निर्धारण आदेश दिनांक नवम्बर, 2014 तथा वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 के अनुसार व्यापारी द्वारा

खरीद बिक्री का ववरण निम्न प्रकार प्रद र्शत कया गयाः-

व्यापारिक वस्तु का नाम	वर्ष	आरम्भिक रहतिया (`)	खरीद (`)	बिक्री (`)	अन्तिम रहतिया (`)
डीजल, पेट्रोल एवं लुब्रिकेन्ट	2012-13	13,98,234.86	9,69,86,872.00	9,76,98,185.07	18,60,669.92
- तदैव -	2013-14	15,92,468.14	14,17,26,760.00	14,36,07,581.25	18,78,421.72

उपरोक्त खरीद बिक्री के ववरण से स्पष्ट है क व्यापारी द्वारा वर्ष 2012-13 के अन्तिम रहतिया ` 18,60,669.92 दर्शाया गया है तथा वर्ष 2013-14 में

प्रारम्भिक रहतिया ` 15,92,468.14 दर्शाया गया है । स्पष्ट है क वर्ष 2013-14 में प्रारम्भिक रहतिया ` 2,68,201.78 (` 18,60,669.92 – 15,92,468.14) कम दिखाया गया है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क भ वष्य में पुनरावृ त्त नहीं होगी, क्यों क व्यापारी करमुक्त है । जिससे कोई राजस्व हानि नहीं हो रही है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-30 के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में कम दिखाये गये प्रारम्भिक रहतिया ` 2,68,201.78 (अर्थात् ` 2.68 लाख) को सुधार कया जाना अपे क्षत है ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर अल्मोडा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री नि शकान्त संह	उपायुक्त

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर अल्मोडा को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र